

फर्ट अहकॉम

(विषय 26)

निम्न सहायक कलेक्टर / उपसहायक अधिकारी विभाग

नाम श्री. राजेश कुमार शिवदास राम चन्द्रिका शर्मा विभागाध्यक्ष कलेक्टर गुडामालानी (2)
 नि. संविधान की धारा 14(1) के अन्तर्गत गुडामालानी जिले में जारी है।
 (1) महोदय महोदय गुडामालानी

क्रियम मुकदमा नम्बर राजस्थान वाद अधि. मुकदमा नम्बर 77/20

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही पर इनिशियल जम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	------------------------------	--

प्रार्थी / वादी / अपीलोट के वकील श्री अलु रज
 ने यह प्रार्थना पत्र / वाद / अपील धारा 88, 53, 188 राजस्थान
 कास्तकारी अधिनियम / भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज
 रजिस्टर हो। विप्राथी / प्रतिवादी / रेस्पॉण्डेंट जरीये नोटिस / सम्मन तलब होकर
 पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 26/9/22 को पेश हो।

(प्र)
 सहायक कलेक्टर
 SDO (गुडामालानी)

(804 नोटिस)
 20/11/22

26/8/22

~~पत्रावली काज पेश हुई। वकील वादीका उपस्थित
 वकील वादीका उपस्थित के सम्मन रखे हुए
 जमाने का एक कोर्ट नकल पारित
 है। नकल दिनांक 10/10/22 को पेश है।~~

(प्र)
 सहायक कलेक्टर, गुडामालानी

10/10/22

~~पत्रावली काज पेश हुई। वकील वादीका उपस्थित
 वकील वादीका उपस्थित के सम्मन रखे हुए
 जमाने का एक कोर्ट नकल पारित है।
 नकल दिनांक 10/10/22 को पेश है।~~

(प्र)
 सहायक कलेक्टर, गुडामालानी

18/11/22

पत्रावली पेश हुई।
 आज पीठासीन अधिकारी महोदय
 बाहर है। अतः इलतवा होकर
 पत्रावली आइन्दा 24/11/22 को पेश हो।



फर्द अहकाम
अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी
मुकाम-गुड़ामालानी

जीसीएमएस संख्या	बनाम	किस्म मुकदमा	
तारीख हुक्म	हुक्म/कार्यवाही मय इनिशियल जज		
20/01/25	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी शायब हेदु अक्सर चाहते हैं, इतिम अक्सर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 06/02/25 को पेश हो</p>		
06/02/25	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी अनुष वादीगण स्वयं अनुष वादीगण को मय अधिवक्ता के कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजे दिलाई गई। बावजूद आवाजे दिलाने के वादीगण एवं वादीगण के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से उक्त उकरण वादीगण की अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है पत्रावली फंसल सुमार होकर दाखिल पत्र हो</p>		